

4/3/2020

साक्षी की शीघ्र प्रकृति द्वारा साक्षीना पत्र प्रस्तुत कर
 विवेक किया कि मुझे साक्षी एवं (वादी) वत्परिवादीगण के
 मध्य रजिनामा हो जाने से प्रकरण को चलाना नहीं चाहिए
 है। इस पर पत्रावली को शीघ्र से हलब भी गड़ी
 वादी साक्षी को सुना गया तथा वाद प्रकरण के कार्यवाही
 पाहने से प्रकरण को विद्वो करने की अनुमति दी जाती
 है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है।
 पत्रावली केसब शुभाहोय नमस्कार से क्रम ले।

अभि ५५५

